

दिनांक:—05.11.2019

वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी रामेश्वर लाल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र 212 आर टी ऐ चलाना नहीं चाहता जरिये Withdrawl खारिज करवाना चाहता है। प्रार्थना-पत्र जबाब हेतु व तलबी स्तर पर है। अतः प्रार्थना-पत्र 212 आर टी ऐ प्रार्थी स्वयं के निवेदन पर जरिये Withdrawl खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।